

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

लेख वाद सं०.....

232/2016-17

का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

प्र	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
1-4-24	अभिलेख उपस्थापित । झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016 सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-3 खा०म०निति 119/85/2308/रा०, दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-914/रा० दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा०, दिनांक 15.07.2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>1. कुरु 5/13</u> थाना नं० <u>183</u> खाता सं० <u>43</u> प्लॉट सं० रकबा..... <u>2. 61</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म..... अनाबाद बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं० <u>63/13</u> पर जमाबंदी रैयत <u>शिव दुर्गा कुमारी कुमारी</u> के नाम से कायम है। <u>मो. 24 दफाल रक</u> हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>15-4-2024</u> को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	

15-4-2024/

1. କୃଷି

अभिलेख, दिनांक 30-4-2024 को उपस्थापित करें।

15.4.77

30.4.27

मौजा: 1/388/3 मौजा नं० 183 खाता सं० 43 प्लॉट सं० —

रकबा 2.61 किस्म 11

הנהגתו של המורה צדק לא היה רק חינוך רוחני אלא גם חינוך גופני ופסיכומוטורי. הוא דאג שהתלמידים ירכשו מיומנויות שונות, כגון הכנת ספרים, עבודת אדמה, טיפול בגידולי פירות ועוד. כל זאת במסגרת חינוך כללי ומעורבות מלאה של התלמידים.

.....तत्कालिन राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश प्राप्त किए अबैध रूप

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशासा के

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

30.4m

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाल चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - पल्लार, मराणा

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	धाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म ज
बिलकुली उधर (पति)	जोतडीह	183	43	-	2.61/1	जोतडीह भागिक	पंजी II में
बोधन रामलाल सिंह							रहने के कारण पंजी नहीं दर्ज जा सका।

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- पट्टी

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी II में दर्ज नहीं है।

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

पंजी II में पंजी II में दर्ज नहीं है।

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :- NA

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

पंजी II में पंजी II में दर्ज नहीं है।

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :- NA

अवैध जमाबंदी का जौंच विवेक

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा वापिस रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में संघारित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) वापिस-खारिज / भू-हस्तांतरण / मामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व से कायम है :-

नहीं

(ख) क्या दिनांक-01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :-

नहीं

11. क्या दिनांक-01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :-

नहीं

12 वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :-

नहीं

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जौंच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

महोदय, मोंग जोवाईडी के लगे 43 एकड़ पंजी में दर्ज नहीं रुका 2.61 रु. यदि मोंग खिपडतारी कुपट पति कोमेश्वर हमाल सिंह के नाम लिखल 63/1 पर दर्ज हो मोंग पंजी में दर्ज नहीं रहे के कारण यदि का मिल नहीं दिया जा सका। यदि जोवाला लगे की ही के का यदि जौंच से संघारित हरावेज की मोंग जाने हेतु अंचल कार्यलय से नोति किती किया गया अंचल कार्यलय प्रधान द्वारा जौंच के बिना गया कि यदि जौंच संघारित कोई भी हरावेज नोति के उपयोग मोंग्याही/बेसजो हरा जौंच नहीं दिया गया। जोवाला यदि का मोंग जाने का आपा से मोंग दर्ज कते वाले पक्षधारी का हरावेज पंजी में के पक्षधारी के लिए जौंचल गलत है दर्ज नहीं हो सकी पक्षधारी यह मोंग संवेगस्था जौंच होगा ही अतः B.R. Act की धारा 2(h) की जौंच की जा सकती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जौंचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

महोदय उपनिरीक्षक द्वारा प्रस्तुत जौंच प्रतिवेदन का जौंच किया जा रहा है। अतः उपरोक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा

अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा, उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शिपडुमरी डुपट पति अकेश्वरदास निह
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ११ पृष्ठ सं: ६३ पर कायम

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>ओताईडीह</u>	<u>१८३</u>	<u>४३</u>	<u>-</u>	<u>२.६१९०</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी II में दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- ओताईप्रा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- दर्ज नहीं है।
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

N/A

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) :- दर्ज नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)

अंचल कार्यालय में उपलब्ध पाए जा सकेंगे।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>०१</u>	<u>२२५१३९</u>	<u>२२/०१/१९७६</u>	<u>१९७६-१९७७</u>

कार्यालय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं० 232 / 2016:17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम कुमारी कुलदेवी देवी कौशिक दामल कौशिक

जोसलदेवी थाना उत्तरपुर

पलामू जिला

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा जोसलदेवी थाना नं०.....
खाता सं० 43 खेसरा नं० रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० 111 के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्टया राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 6/3/24 को समय 11:00 बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आप
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुष
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।



अंचल अधिकारी
उत्तरपुर।